अनुलग्नक ए

**एटीटी सार्वभौमीकरण टूलकिट**

ANNEX A

**ATT UNIVERSALIZATION TOOLKIT**

## संलग्न A
## एटीटी सार्वभौमीकरण टूलकिट


**1. यह टूल किट किसके लिए तैयार किया गया है? . ........ 2**

**2. एटीटी क्या है? ........ 2**

2.1 संधि को क्यों स्वीकारा गया? ........ 2

2.2 स्वीकरण एवं परिपालन ........ 2

2.3 एटीटी में कितने देश शामिल हैं? ........ 3

**3. एटीटी का सार्वभौमीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? ........ 3**

**4. संधि में शामिल होने के क्या लाभ हैं? ........ 3**

4.1 पारदर्शिता ........ 4

4.2 शांति एवं सुरक्षा ........ 4

4.2.1 मानव सुरक्षा ........ 4

4.2.2 राष्ट्रीय सुरक्षा ........ 4

4.2.3 क्षेत्रीय सुरक्षा ........ 5

4.3 मनवाधिकार ........ 5

4.4 सतत विकास ........ 5

4.5 व्यापार विनिमयन और व्यापार मानकों में सुधार ........ 6

4.6 अन्य उपकरणों के साथ तालमेल (सिनर्जी) ........ 6

**5. संधि में शामिल होने में देशों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? ........ 6**

**6. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ........ 7**

6.1 यह संधि वैश्विक शस्त्र व्यापार में क्या अंतर ला रही है? ........ 7

6.2 उन देशों के बारे में जो अभी तक संधि में शामिल नहीं हुए हैं? ........ 7

6.3 संधि का विस्तार क्षेत्र क्या है? ........ 8

6.3.1 एटीटी के अंतर्गत किस प्रकार के हथियार आते हैं? ........ 8

6.3.2 किस प्रकार के स्थानंतरण एटीटी में शामिल किए गए हैं? ........ 8

6.4 हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें? ........ 8

6.5 क्या संधि देशों को हथियार आयत करने से रोकती है? ........ 9

6.6 संधि के कार्यन्वयन में नागरिक समाज के संगठन क्या भूमिका है? ........ 9

## 1. यह टूलकिट किसके लिए तैयार किया गया है?

यह टूलकिट संधि सार्वभौमीकरण के लिए गठित कार्यदल (वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रीटी यूनिवर्सलाइजेशन) द्वारा विकसित किया गया था। यह टूलकिट अपने-आप में एक जीवंत दस्तावेज़ है, जिसकी रूप रेखा इस तरह तैयार की गई है कि इससे एटीटी के सार्वभौमीकरण में लगे - देशों, एटीटी कार्यालय के पदाधिकारियों तथा नागरिक समाज आदि को मदद मिल सके। यह टूलकिट सीएसपी 4 के निर्णयों तथा सुझावों के आधार पर तैयार की गई है।

इसके बनने में एटीटी की कार्यसमितियों की बैठकों के दौरान सदस्य-देशों द्वारा साझा की गई सूचनाओं एवं उनके द्वारा सामने रखे गए अनुभवों का भी योगदान रहा है।

## 2. एटीटी क्या है?

शस्त्र व्यापार संधि एक अंतरराष्ट्रीय (एटीटी) संधि है। यह हथियारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना करके पारम्परिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यह पारंपरिक हथियारों के अवैध व्यापार और पथांतरण लनउन्मू पर रोक लगाने और उनका (डायवर्जन) करने का प्रयास करती है।

अनुच्छेद 1 में उल्लिखित संधि का उद्देश्य निम्नलिखित है:

- पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करने अथवा उसके नियमन को बहतर बनाने के लिए यथासंभव उच्च एवं समान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना करना
- पारंपरिक हथियारों के अवैध व्यापार को रोकथाम व उसका अन्मूलन करना तथा उसके पथान्तरण को रोकना। इसका उद्देश्य था।
- अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता के योगदान करना
- मानव की पीड़ा को कम करना
- पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सदस्य देशों द्वारा सहयोग, पारदरिता एवं ज़िम्मेदार क़दम का बढ़ावा देना, और इस पर्कार सदस्य देशों के बीच विश्वास का सृजन करना

यह वैश्विक "शस्त्र व्यापार में ज़िम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए जाने वाले हमारे सामूहिक प्रयासों में एक नये अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है।" – बान की मून

एटीटी मानवीय पीड़ा कम करते हुए और सहयोग, पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी की पूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान देती है।

### 2.1 संधि को क्यों स्वीकारा गया?

शस्त्र  व्यापार संधि (एटीटी) को स्वीकार यह था कि संयुक्त राज्य के सदस्य देशों ने महसूस किया कि

> 'परंपरागत हथियारों के आयात, निर्यात, एवं हस्तांतरण से सम्बंधित सामान्य मानकों के अभाव में आपसी टकराव, विस्थापन, अपराध तथा आतंकवाद जैसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे शांति, सुलह, सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास की स्थापना के लक्ष्य में बाधा पहुँचती है।' (संकल्प 61/ 89 के पैरा 9 शस्त्र व्यापार संधि: *पारंपरिक हथियारों के आयात, निर्यात और हस्तांतरण सम्बंधित सामान्य अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना*)

### 2.2 स्वीकरण एवं परिपालन

उस संधि को 2 अप्रैल 2013 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी; और 24 दिसंबर 2014 को इसे लागू कर दिया गया था। यह पारम्परिक हथियारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाली पहली वैश्विक, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी।

## 2.3 एटीटी में कितने देश शामिल हैं?

अभी तक 100 से अधिक देश इस संधि को स्वीकार करने वाले सदस्य देश बन चुके हैं। अन्य देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
एक क्षेत्रीय अवलोकन सहित एटीटी में भागीदारी की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी एटीटी की निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883

## 3. एटीटी का सार्वभौमीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

सदस्य देशों के सम्मेलन के औपचारिक सत्रों में किन बातों पर विचार करना है, इसका निर्देश संधि के अनुच्छेद 17 (4) में प्रदत्त है। अनुच्छेद 17 (4) (बी) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि सम्मलेन के सदस्य देश "संधि के कार्यान्वियन और परिचालन से सम्बंधित; ख़ासकर, सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देने वाले विचारों और अनुसंशाओं को अपनाएँगे।" यह संधि, अपने मूल पाठ में, जैसा कि उद्धृत है, संधि सार्वभौमीकरण के संवर्धन को एक सदस्य देशों के द्वारा विचार-प्रदान किए जाने योग्य एक गंभीर तत्त्व के रूप में पहचान करती है। वस्तुतः संधि सार्वभौमीकरण को प्रदत्त इस प्रमुखता के कारण ही सीएसपी 3 ने संधि सार्वभौमीकरण के लिए कार्यदल (डब्लूजीटीयू) का गठन किया। और संधि सार्वभौमीकरण के उद्देश्यों को साकार करने के लिए संधि के सार्वभौमीकरण का तथा कतिपय विशिष्ट गतिविधियों व लक्ष्यों का प्रचार-प्रसार अनिवार्य कर दिया। संधि के 'सार्वभौमीकरण' में इसकी सदस्यता के विस्तार का लक्ष्य भी निहित है, ताकि यथासंभव अधिकतम देश इसका हिस्सा बन सकें। यद्यपि संधि के पाठ में सार्वभोकीकरण से संबंधित धारणा की कोई परिभाषा नहीं की गई है, पुनरपि इसका अभिप्रायार्थ यह निगमित किया जा सकता है कि संधि का अधिकार क्षेत्र विस्तृत किया जाए। यह महत्त्वपूर्ण है कि यथासंभव अधिक से अधिक देश एटीटी में शामिल किए जाएँ। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रणाली उसी स्थिति में सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। जब पर्याप्त संख्या में देश इससे अपने-आप को जोड़ते हैं। इतना भर कर लेने कोई ख़ास अर्थ नहीं रखता कि कुछ ईमानदार निर्यातकों को शस्त्र-हस्तांतरणों के जोखिमों का आकलन करने में लगा दिया जाए। उस स्थिति में जहाँ किसी प्रकार की कोई नियंत्रण संबंधी व्यवस्था नहीं है, वहाँ अवैध हथियार की प्राप्ति हो ही सकती है।
व्यवहार के स्तर पर देखें तो ऐसी कुछ ही संधियाँ या कुछ ही सम्मेलन हैं जिनके सभी देश सदस्य हों, तो ऐसे में प्रश्न होता है कि एटीटी के संदर्भ में 'सार्वभौमीकरण' की लक्ष्यप्राप्ति के लिए हमें कितने या किस प्रकार के देशों की आवश्यकता है? जून 2018 में, एटीटी सचिवालय ने विश्लेषण किया कि शीर्ष के 50 हथियार निर्यातकों और आयातकों में से कितने संधि का हिस्सा हैं। निष्कर्ष यह था कि दुनिया के अधिकांश शीर्ष निर्यातक संधि में शामिल हो गए हैं - दुनिया के 73% शीर्ष निर्यातकों में 71% हथियार निर्यातक या तो संधि के सदस्य देश हैं या संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। केवल शीर्ष आयातकों में से केवल 50% जिसमें हथियार आयातक 36% शामिल हैं, सदस्य देश या हस्ताक्षरकर्ता देश हैं. अभी भी संधि के सार्वभौमीकरण पर बहुत काम होना बाक़ी है।
एक बड़े बदलाव का बिंदु तब देखा जा सकता है जब संधि में शामिल सदस्य देशों की संख्या पर्याप्त हो और संधि के तय मानकों और सिद्धांतों का अनुपालन- यहां तक कि गैर-सदस्य देशों द्वारा भी किया जाना शुरू हो जाए। वास्तव में, सार्वभौमीकरण शायद पूर्ण संख्या का प्रश्न नहीं है, बल्कि सदस्य देशों के व्यवहार का प्रश्न है।

## 4. संधि में शामिल होने के क्या लाभ हैं?

एटीटी का उद्देश्य, जैसा कि अनुच्छेद 1 (और इस दस्तावेज़ के अनुभाग 1) में निर्धारित किया गया है, सकारात्मक परिणाम देता है। इन सकारात्मक परिणामों का विवरण संधि के उद्देश्य में दिया गया है। संधि में शामिल होने का अर्थ है एटीटी के प्रावधानों को मानने वाले एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा बनना; देशों के एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बनना जो अनुच्छेद 1 में निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ तरीक़े से अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक शस्त्र व्यापार को विनियमित करता है।

## 4.1 पारदर्शिता

एटीटी कार्यान्वयन पर प्रारंभिक रिपोर्टों और हस्तांतरण पर वार्षिक रिपोर्टों, साथ ही स्वैच्छिक सूचना विनिमय के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। एटीटी सदस्य देशों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर संचार के पारदर्शी चैनल खोलने का अवसर प्रदान करता है। इससे निम्न मदद मिलती है:

- आपसी हित के मुद्दों की पहचान करने में;
- विश्वास निर्मित करने में;
- व्यापार मानकों को मज़बूती प्रदान करने में;
- संधि अनुपालन के आकलन की सुविधा में;
- शस्त्र हस्तांतरण के  रुझानों की पहचान में;
- सदस्य देशों को संधि लागू करने और सर्वोत्तम उपाय की पहचान करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में;
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सुचारू रूप से उपलब्ध करने में; तथा
- संसाधन संपन्न देशों और जिनको सहायता की अपेक्षा है, उन देशों को परस्पर जोड़ने में;

साथ ही, सभी देशों की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हुए एटीटी देशों को यह छूट देता है कि वे व्यावसायिक रूप से संवेदनशील या राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीय जानकारी अपने वार्षिक रिपोर्ट से निकाल दें। इसी कारण एटीटी उन देशों की रिपोर्ट केवल सदस्य देशों के साथ ही साझा करता है; उसे सार्वजनिक नहीं कर देता।

## 4.2. शांति और सुरक्षा

### 4.2.1 मानव सुरक्षा

जैसा कि एटीटी की प्रस्तावना में ही देखा गया, अवैध और अनियंत्रित पारंपरिक शस्त्र व्यापार के सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक और मानवीय दुष्परिणाम हैं।

शस्त्रों की उपलब्धता और उनके दुरुपयोग का अशांत और शांत दोनों ही जगहों की व्यवस्थाओं में मानव सुरक्षा पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इनसे न केवल उन्हें जान-माल की हानि होती है या दुर्घटनाएँ होती हैं, बल्कि वे नागरिकों के विस्थापन का कारण बन सकते हैं; उनके कारण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा तक लोगों की पहुँच सीमित हो जाती है; साथ ही पीड़ितों एवं उनके परिवारों के ऊपर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुष्प्रभाव भी होते हैं।

अवैध हथियारों और गोला-बारूद के जखीरों का संचयन और प्रसार सशस्त्र संघर्ष को लम्बा खींच सकता है और संघर्ष के बाद भी लम्बे समय तक नागरिकों के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है।

मानव सुरक्षा में एटीटी सहयोग कर सकता है. अनुच्छेद 6(3) किसी भी सदस्य देश को पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण को अधिकृत करने से रोकता है,

> "यदि अधिकृत करते समय सदस्य देश को यह पता चलता है कि आयुधों या आयुध सामग्री का प्रयोग जनसंहार,मानवता के विरुद्ध अपराध, 1949 के जेनेवा सम्मलेन की शर्तों के गंभीर उलंघन, नागरिक ठिकानों या नागरिक क्षेत्रों पर हमला या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों,जिसका कि वह सदस्य है, में परिभाषित अन्य युद्ध अपराधों में किया जाएगा।"

### 4.2.2 राष्ट्रीय सुरक्षा

संधि के एक भाग में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपलब्ध आयुधों की जवाबदेही अंतिम प्रयोगकर्ताओं के अधीन रहे और आपराधिक संगठनों को आयुध की आपूर्ति में कमी आए।

अवैध हथियारों की उपस्थिति किसी देश के सुरक्षा संदर्भों के लिए चुनौती बन सकती है। यह सशस्त्र बलों एवं विधि व्यवस्था लागू करने वाले कर्मियों के लिए घरेलू सुरक्षा प्रदान को प्रभावपूर्ण रूप से लागू करने में चुनौती पेश कर सकती है।
संधि शर्तों का अनुपालन वर्तमान राष्ट्रीय प्रणालियों की त्रुटियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। ऐसी मदद सदस्य देशों को त्रुटियों के विश्लेषण करने और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता लेने की अनुमति देकर की जा सकती है। यदि आवश्यक हो, तो यह कार्य विद्यमान त्रुटियों को समाप्त करके एवं यह सुनिश्चित करके कि उनकी राष्ट्रीय आयुध नियंत्रण प्रणाली मज़बूत और सर्वग्राही है, किया जा सकता है।
संधि में यह भी स्पष्ट रूप से उद्धृत है कि किसी सदस्य देश के द्वारा अथवा सदस्य देश की ओर से किसी और के द्वारा आयुध के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर इसके उपयोग पर यह लागू नहीं होता है; बशर्ते कि आयुध सदस्य देश के स्वामित्व में रहे। इसलिए तैनात सैनिकों को उपकरण हस्तांतरित करना संधि के अनुसार 'हस्तांतरण' नहीं है। इसमें जोखिम के आकलन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि कथित लक्ष्य (मिशन) के पश्चात आयुधों को पुनः हस्तांतरित नहीं किया जाए (या फिर कहीं छोड़ नहीं दिया जाए)।

### 4.2.3 क्षेत्रीय सुरक्षा

एटीटी सीमा पार से अवैध हथियारों और गोला-बारूद के प्रवाह को रोकने में योगदान कर सकता है। इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकने वाला पारंपरिक हथियारों का विनाशकारी प्रभाव कमतर हो सकता है। यह संधि सहयोग, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वपूर्ण संयुक्त कार्रवाई को भी बढ़ावा देती है। यह पथांतरण (डायवर्सन) एवं अवैध व्यापार से निपटने के लिए बनाए गए मौजूदा क्षेत्रीय ढांचे को मज़बूत करने की एक रूपरेखा प्रदान करती है।

## 4.3 मानवाधिकार

अनुच्छेद 6 और 7 के समावेश के साथ ही एटीटी के सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने आयुधों के आदान-प्रदान संबंधी निर्णय लेते समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय क़ानून को केंद्र पर रखें। अनुच्छेद 7 के तहत, सदस्य देश इस बात के लिए बाध्य हैं कि वे पारंपरिक हथियारों, गोला-बारूदों, या संधि के अनुच्छेद 2(1), 3, और 4 के अंतर्गत आने वाले उनके हिस्सों और घटकों को आते हैं, के किसी भी तरह के हस्तांतरण से पहले जोखिम निर्धारण के मानदंड का अनुप्रयोग करें। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे उन जगहों में निर्यात करने से मना कर दें जहाँ इस बात का स्पष्ट जोखिम है कि निर्यात किए गए हथियारों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय क़ानून के गंभीर उल्लंघन करने में या उस उल्लंघन को संभव करने में किया जा सकता है।
एटीटी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून को मज़बूती से लागू करता है। एटीटी इस क़ानून को जोखिम-मूल्यांकन प्रक्रिया में लाकर सुदृढ़ता प्रदान करता है। ऐसा वह यह सुनिश्चित करके करता है कि पारंपरिक आयुध व्यापार में मानवाधिकार मानकों का सम्मान हो, उनका क्रियान्वयन हो और उनको मज़बूती के साथ लागू कर दिया जाए।
यह संधि तनाव और सशस्त्र हिंसा का महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर जोर देती है (देखें अनुच्छेद 7 (4 देखें)। यह कार्य उक्त संधि जोखिम मूल्यांकन मापदंड में लिंग-आधारित मुद्दों को प्रकाश में लाकर करती है।

## 4.4 सतत विकास

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) की उपलब्धि में एटीटी की भूमिका हो सकती है 16.4 (2030 तक 'सार्थक तरीके से अवैध वित्तीय और हथियारों के प्रवाह को कम करने के लिए'); एसडीजी 5.2 (महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए); और एसडीजी 11 (शहरों को सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने का लक्ष्य है)। एक ज्वलंत मुद्दा यह विचार करता है कि एटीटी के क्रियान्वयन (क्रॉस-कटिंग) इन एसडीजी के कार्यान्वयन का समर्थन करने और

उसको बढ़ावा देने में *कैसे* मदद कर सकता है। यह आवश्यक होगा कि एटीटी के सभी क्रियाशील समूहों को विचार-विमर्श में शामिल किया जाए।

संधि में वर्णित पारदर्शिता, दस्तावेजीकरण (रिकार्ड कीपिंग) और रिपोर्टिंग, सूचना साझा करने, और अंतर्राष्ट्रीय सहायता ये नियम एसडीजीएस (SDGs) के 16.a लक्ष्य की प्राप्ति में भी योगदान करेगी, जो "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण, विशेष कर विकासशील देशों को शामिल कर, हिंसा को रोकने और आतंकवाद एवं अपराध का मुकाबला करने के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय संस्थानों को मज़बूत करना" चाहती है।

### 4.5 व्यापार विनियमन और व्यापार मानकों में सुधार

एटीटी एक वैश्विक मानदण्ड का निर्माण करना चाहता है। एटीटी यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी तरह के स्थानान्तरणों का एक ही जोखिम-मूल्यांकन मानदंड हो। एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानक और उसके अनुपालन ढांचे की निर्मिति में, एटीटी आयुध व्यापार में एक सामान स्तर का क्रीड़ाक्षेत्र बनाने में मदद करता है। इसी एक कारण से ही उद्योग के सदस्यों ने एटीटी का समर्थन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए वे इसे एक संभावित साधन के रूप में देखते हैं कि नए व उभरते हुए निर्माता और निर्यातक भी इस समान नियामक मानकों के अधीन होंगे। जैसे कई मौजूदा और लंबे समय से निर्यात कर रहे पुराने सदस्य देश इसके अधीन हैं। कंपनियाँ अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति ज्यादा जागरूक हैं और वे अपने व्यापारिक आचरण में तेजी से मानव सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण अपना रही हैं; एटीटी इसे बढ़ाने का अवसर एक प्रदान करता है ।

### 4.6 अन्य उपकरणों के साथ तालमेल (सिनर्जी)

एटीटी अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयुध नियंत्रण उपायों का समर्थन और अनुपूरण करता है, जैसे कि छोटे हथियारों और बंदूकों आदि पर हुए संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाई की रुपरेखा (यूएन प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन स्मॉल आर्म्स एंड फायरस्टार प्रोटोकॉल)।

## 5. संधि में शामिल होने में देशों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

संधि सार्वभौमीकरण के लिए गठित कार्यदल के सह-अध्यक्षों (डब्ल्यूजीटीयू) ने संधि सार्वभौमीकरण की दिशा में आने वाली चुनौतियों की निम्नलिखित अनंतिम सूची जारी की है जो सीएसपी 4 की तैयारी बैठकों की कार्य योजना के साथ संलग्न है। (देखें, संलग्न ए, ATT/CSP4.WGTU/2018/CHAIR/249/M1.कार्य योजना):

1. अनुसमर्थन (रैटीफिकेशन) के प्रति राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना
2. सरकार या संसद की प्राथमिकता सूची में एटीटी को प्राथमिकता देना
3. एटीटी की समझ विकसित करना, या इसको लेकर बनने वाली संशयों की स्थिति को कम करना
   - 3.1 संधि के उद्देश्य और प्रयोजन के बारे में गलत धारणाओं
   - 3.2 संदेह, विशेष रूप से, प्रासंगिक मंत्रालयों द्वारा
4. घरेलू परिस्थितियाँ, चाहे वह राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से हों,
   - 4.1 आम चुनाव
   - 4.2 बन्दूक समूह (Gun lobby)
   - 4.3 द्वन्द्व आदि
5. क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति
6. संधि के अनुसमर्थन की घरेलू प्रक्रियाओं की गति में तेजी लाना
   - 6.1 देश की सरकार को अपने यहाँ की मौजूदा व्यवस्था/क़ानूनों पर संधि के दायित्वों के निहितार्थ का मूल्यांकन करने में समय लगता है।

6.2 आवश्यक घरेलू क़ानूनों को तैयार करने की समय लगता है।

6.3 मंत्रालयों के बीच या सरकार और संसद के बीच अच्छा समन्वय आवश्यक है।

6.4 सरकारी अधिकारियों का बदलाव अनुकूल नहीं है।

7. क्षमता का विकास

7.1 मानव संसाधन या विशेषज्ञता (संधि को लागू करने के लिए)

7.2 वित्तीय संसाधन (वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए)

8. दायित्वों की रिपोर्टिंग.

8.1 पारदर्शिता उपायों में सामान्यतः असमंजस की स्थिति। रिपोर्टिंग बहुत विस्तृत है।

8.2 रिपोर्ट की जाने वाली बातें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील

8.3 रिपोर्टिंग में आनेवाली मुश्किलों का हवाला देना

9. अन्य के अनुसमर्थन/पुष्टि की प्रतीक्षा (पड़ोसी देशों, प्रमुख निर्यातकों और आयातकों, आदि)

10. मूल पाठ सहित, एटीटी वार्ता के परिणाम पर विभिन्न दृष्टिकोणों का निराकरण

10.1 मत द्वारा संधि को अपनाना

10.2 संधि में विशेष दायित्वों के निर्वहन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति

## 6. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

### 6.1 यह संधि वैश्विक शस्त्र व्यापार में क्या अंतर ला रही है?

सदस्य देश हथियारों के हस्तांतरण के फ़ैसलों पर अपने सार्वजनिक संचादों में आधिकाधिक एटीटी का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह, नागरिक समाज और मीडिया एटीटी प्रावधानों के आलोक में स्थानांतरण निर्णयों के लिए सदस्य देशों का अधिकाधिक आह्वान कर रहे हैं। यह विचार-विमर्श करने के दौरान कि कुछ हथियार हस्तांतरण 'ज़िम्मेदार' हैं अथवा नहीं, एटीटी बयानबाजी का हिस्सा बन रहा है। वस्तुतः उसमें यह एक मानक (बेंचमार्क) बन रहा है। हालाँकि एटीटी के पूर्ण, व्यावहारिक प्रभावों का आकलन करना जल्दबाजी हो सकती है, किन्तु यह इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि कुछ सदस्य देश एटीटी मानदंडों के आधार पर निर्यात को प्रतिबंधित कर रहे हैं, और अन्य ऐसा करने के क्रम में गंभीर राजनैतिक दबाव का सामना कर रहे हैं।

### 6.2 उन देशों के बारे में क्या जो अभी तक संधि में शामिल नहीं हुए हैं?

एटीटी संधि को आए अपेक्षाकृत कम ही समय हुआ है. फिर भी, इसके लागू होने के केवल चार (4) वर्षों में ही 100 से अधिक देश एटीटी के सदस्य हो चुके हैं, किसी भी निःशस्त्रीकरण संधि के अनुसमर्थन / इसकी दर सबसे तेज दरों में से एक है।

ऐसे कई देश हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने संधि में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, वे इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि वे उन कार्यों से दूर होंगे जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं (अनुच्छेद 10 और 18, संधि के क़ानून पर 1969 का वियना सम्मलेन )।

कई अन्य देशों ने जो अभी तक संधि में शामिल नहीं हुए हैं, इस संधि का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त की है और वे संधि को अंगीकार करने की प्रक्रिया में हैं। दिसंबर 2014 में संधि के लागू होने के बाद इस संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए या नहीं इस बात पर अब और कोई विकल्प नहीं है।

यह संधि जैसे ही गति पकड़ती रही है और जैसे जैसे पर्याप्त संख्या में देश इसके सदस्य बन रहे हैं और अपने यहाँ संधि के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं, तब वे देश भी जो इस संधि का हिस्सा नहीं हैं, संधि के सिद्धांतों का पालन हो, इस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं; क्योंकि यह संधि आयुध स्थानान्तरण का 'ज़िम्मेदार' वैश्विक मानक स्थापित करती है।

## 6.3 संधि का विस्तार क्षेत्र क्या है?

एटीटी कतिपय श्रेणियों के हथियारों के कुछ विशेष प्रकारों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

### 6.3.1 एटीटी के अंतर्गत किस प्रकार के हथियार आते हैं?

एटीटी पारंपरिक हथियारों की निम्नलिखित श्रेणियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है (देखिये अनुच्छेद 2(1)):

1) युद्धक टैंक;

2) बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों;

3) बड़े-कैलिबर आर्टिलरी सिस्टम;

4) लड़ाकू विमान;

5) आक्रमणकारी  हेलीकॉप्टर;

6) युद्धपोत;

7) मिसाइल और मिसाइल लांचर; और

8) छोटे शस्त्र और हल्के हथियार.

एटीटी उपर्युक्त सूची में वर्णित पारंपरिक हथियारों द्वारा दागे गए, लॉन्च किए गए या भेजे गए गोला-बारूद / हथियार के निर्यात पर भी लागू होता है। साथ ही यह उन कल पुर्जो और घटकों पर भी लागू होता है जहाँ निर्यात एक ऐसे रूप में होता है जो उपर्युक्त सूची में निबद्ध पारंपरिक हथियारों को जोड़कर बनाने (एसेम्बल) की क्षमता प्रदान करता है (देखें अनुच्छेद  3 और 4)।

### 6.3.2 किस प्रकार के स्थानांतरण एटीटी में शामिल किए गए हैं?

एटीटी निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन को नियंत्रित करता है (देखें,अनुच्छेद 2 (2)):

- निर्यात
- आयात
- पारगमन और पोतान्तरण (ट्रांस-शिपमेंट); और
- दलाली(ब्रोकरिंग)

यह संधि किसी सदस्य देश के द्वारा अथवा उस सदस्य देश की ओर से किसी अन्य के द्वारा अपने उपयोग के लिए किए जाने वाले पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण पर लागू नहीं होती है, बशर्ते कि पारंपरिक हथियार उस सदस्य देश के स्वामित्व में रहें (देखें, अनुच्छेद 2 (3)।

इसके अलावा, एटीटी 'अपनी आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में और शांति बहाली के अभियानों में देशों को  पारंपरिक हथियार प्राप्त करने के वैधानिक हित को' मान्यता देता है (पैराग्राफ 7, एटीटी के सिद्धांत)।

## 6.4 हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें?

एटीटी के तहत रिपोर्टिंग की जो आवश्यकताएँ हैं उनसे सदस्य देशों को इस बात में मदद मिलती है कि वे संधि के अंतर्गत आने वाली अपनी प्रतिबद्धताओं का क्रियान्वयन करें। प्रत्येक सदस्य देश के लिए यह अनिवार्य है कि वह सदस्य बनने के पहले वर्ष के भीतर उनके द्वारा कार्यान्वियन के प्रयासों पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उनके लिए यह अनिवार्य है कि जब नए कार्यान्वयन उपायों के लागू किया जा रहा हो तब वह *एक तदर्थ आधार(एड हॉक)* पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट को अद्यतन करे। इसके अलावा, एटीटी सचिवालय कुछ संधि प्रतिबद्धताओं से संबंधित सदस्य देशों के अनुपालन का अभिलेख/आंकड़ा (रिकॉर्ड) रखता है, जिसमें:  वित्तीय योगदान के भुगतान; राष्ट्रीय नियंत्रण सूचियों पर जानकारी प्रस्तुत करना (अनुच्छेद 5); राष्ट्रीय सक्षम अधिकारीगण (अनुच्छेद 5); संपर्क के राष्ट्रीय सूत्र (पॉइंट्स) (अनुच्छेद 5); और प्रारंभिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

है (अनुच्छेद 13)। यह जानकारी एटीटी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है, हालाँकि कुछ जानकारियाँ केवल सदस्य देशों के लिए ही उपलब्ध हैं।

सदस्य देश संधि से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को किस तरह क्रियान्वित करते हैं, इस बात की निगरानी करने में नागरिक समाज की भी भूमिका रहती है। मीडिया एटीटी प्रतिबद्धताओं के प्रकाश में सदस्य देशों द्वारा किए गए स्थानान्तरण संबंधी निर्णयों पर मीडिया भी अधिकाधिक सवाल कर रहा है। प्रत्येक देश प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए और उनके संधि संबंधी और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एटीटी किसी औपचारिक समीक्षा तंत्र को शामिल नहीं करता है (जैसे सहकर्मी की समीक्षा, विशेषज्ञ समीक्षा या निरीक्षण निकाय)।

## 6.5 क्या संधि देशों को हथियार आयात करने से रोकती है?

एटीटी के अनुच्छेद 6 पारंपरिक हथियारों, गोला-बारूद/हथियारों,उसके पुर्जों और घटकों के हस्तांतरण (आयात सहित) प्रतिबंधित करता है; यदि हस्तांतरण निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शर्तों का उल्लंघन करता है तो; या यदि सदस्य देश को यह जानकारी हो कि हस्तांतरित किए गए हथियारों का इस्तेमाल नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध या युद्ध अपराधों के लिए किया जाएगा। इस प्रकार यह संधि कुछ परिस्थितियों में हथियारों का आयात करने से सदस्य देशों को निवृत्त करती है (या रोकती है) (और यह संधि कुछ परिस्थितियों में एक सदस्य देश को अन्य देश में *निर्यात करने* से प्रतिबंधित करती या रोकती है)।

यदि अनुच्छेद 6 के तहत पारंपरिक हथियारों, गोला-बारूद या उनके कल-पुर्जे और घटकों का प्रस्तावित आयात/स्थानांतरण प्रतिबंधित नहीं है, और यदि निर्यातक देश एटीटी का एक सदस्य देश है, तो यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 7 के तहत हथियारों या सामग्रियों के जोखिम का मूल्यांकन किया जाए। यह मूल्यांकन कि इनका प्रयोग आईएचएल या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून के गंभीर उल्लंघन "में सहयोग किया जा सकता है"; यह उल्लंघन आतंकवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आचारव्यवस्था या प्रोटोकॉल्स के तहत एक अपराध है, जिसमें निर्यातक देश एक सदस्य देश है; या अंतरराष्ट्रीय आचारव्यवस्था या प्रोटोकॉल्स के तहत एक अपराध है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंधित है, जिसमें निर्यातक देश एक पार्टी है।

यदि निर्यात करने वाला देश यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 7 (1) में किसी भी नकारात्मक परिणाम के अधिभूत होने का (ओवरराइडिंग) जोखिम' है, तो उसे चाहिए कि वह निर्यात को अधिकृत न करे। ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि आयात करने वाला देश हथियारों या अपने द्वारा चाही हुई वस्तुओं का आयात करने में सक्षम नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आयातक देश एटीटी का सदस्य देश है अथवा नहीं। एटीटी का एक सदस्य देश होने के नाते निर्यातक देश निर्यात करने से अनिवार्यतः मना कर दे; यदि निर्यात मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक 'अधिभूत (ओवरराइडिंग) जोखिम' है, *भले ही* आयातक या अंतिम उपयोगकर्ता कोई भी हो।

संक्षेप में कहें तो, एटीटी किसी देश की पारंपरिक हथियारों के आयात करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है; यदि यह निर्धारित हो जाए कि आयातक देश या अंतिम-उपयोगकर्ता द्वारा हथियारों का उपयोग किसी विशेष प्रकार किया जाएगा या किया जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा कि *आयातक* देश एटीटी का एक सदस्य है या नहीं; इसका संबंध इस बात से अधिक है निर्यातक देश इस संधि का सदस्य है और वह अनुच्छेद 6 व 7 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है।

## 6.6 संधि के क्रियान्वयन में नागरिक समाज के संगठन क्या भूमिका है?

नागरिक समाज एटीटी के सार्वभौमीकरण और क्रियान्वयन के कार्य में बहुत सक्रिय रहता है। नागरिक सामाजिक संगठन सार्वभौमीकरण के समर्थन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर लक्षित गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। उन गतिविधियों का उद्देश्य लक्षित वकालत को उपलब्ध कराना तथा सूचना साझा करना है। साथ ही इसका उद्देश्य राजनीतिक प्राथमिकता को बनाए रखने के लिए सामाजिक दबाव बनाना है। नागरिक समाज की गतिविधियों में निम्न चीज़ें शामिल हैं:-

- संधि का अनुसमर्थन करने या उसे स्वीकारने की इच्छुक सरकारों को तकनीकी विशेषज्ञता और सलाह प्रदान करना इसमें संसाधन सामग्री, मार्गदर्शिकाएँ, टूलकिट्स और प्रचार सामग्री सम्मिलित हैं। इनसे हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन में सहायता मिलती है।
- विशेष आयुध नियंत्रण क्षेत्रों पर नीतिगत संसाधन विकसित करना, जैसे कि आतंकवाद से विलगाव, और अन्य उपकरणों के साथ जुड़ाव।
- संधि के तकनिकी पहलुओं और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग एवं समर्थन को केन्द्र में रखकर संबंधित अधिकारियों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के लिए क्षेत्र विशेष में संगोष्ठियों या सम्मेलनों का समर्थन और आयोजन करना।
- वैसे शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के नेटवर्क का निर्माण करना जो संधि की विधायी और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं।
- राष्ट्रीय स्वीकृति और प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति और अधिक सक्रिय रहने के उद्देश्य से जनता को उत्साहित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों का समर्थन करना।
- सदस्य देश संधि में निर्दिष्ट अपने दायित्वों का कार्यान्वयन और अनुपालन किस तरह कर रहे हैं; इस बात की निगरानी रखना।